आरोप लखनपुर समिति में फर्जी पंजीयन, कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने लगाए आरोप

खाद्य आपूर्ति नियंत्रक की मिलीभगत से नहीं हुई समिति पर कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। जिले की लखनपुर सेवा सहकारी समिति में फर्जी किसान पंजीयन का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जांच लंबित होने के बावजूद खाद्य आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद मिश्रा की कथित मिलीभगत के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर किसानों में काफी आक्रोश हैं और उन्होंने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लखनपुर समिति के ऑपरेटर द्वारा किए गए फर्जी पंजीयन की जांच चल रही है, लेकिन खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पर समिति के ऑपरेटर के परिजनों से सांठगांठ कर उन्हें

बचाने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मामले को कमजोर करने के लिए समिति की आईडी हैक होने की कहानी सामने लाई गई। इस मामले की शिकायत पूर्व में फसल बिक्री करने पर भुगतान ना मिलने वाले किसानों ने कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति मप्र की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को भी की है।

आईडी हैक की दलील पर सवाल

किसानों का कहना है कि जिन पंजीयनों को फर्जी बताया जा रहा है, वे स्वयं संबंधित व्यक्ति और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए हैं। मामला उजागर होने के बाद खुद को बचाने के लिए आईडी हैक होने का आवेदन दिया गया, जिसे शिकायतकर्ता भ्रामक और तथ्यहीन बता रहे हैं। अब देखना होगा कि किसानों की शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन अधिकारी पर क्या कार्यवाही करते है।

पहले भी हो चुके हैं फर्जीवाड़े

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि पूर्व वर्षों में कापा और खांड समितियों में फर्जी किसानों के नाम पर भुगतान हो चुका है, जबकि वास्तविक किसान आज भी भुगतान के लिए भटक रहे हैं। आरोप है कि कुछ बिचौलियों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि कई समितियां उनके इशारों पर संचालित होती हैं।

एसबीसी सचिव पद से हटाई गई गीता शुक्ला को झटका

सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

जबलपुर। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा व जस्टिस मनमोहन की युगलपीठ ने एमपी स्टेट बार काउंसिल के सचिव पद से हाइकोर्ट के आदेश के बाद हटाई गई गीता शुक्ला को कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। सुकों ने मप्र हाईकोर्ट के पूर्व आदेश को यथावत् रखते हुए दायर की गई विशेष अनुमति याचिका निरस्त कर दी है। उल्लेखनीय है कि मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने 20 दिसंबर 2025 को दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गीता शुक्ला को एलडीसी के पद पर वापस भेजने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट में ये याचिकाएं मप्र स्टेट बार काउंसिल के सदस्य शैलेन्द्र वर्मा, अहादुल्ला उस्मानी, हितोषी जय हार्डिया, अखंड प्रताप सिंह और जबलपुर के अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार जैन की और से 31 जनवरी 2022 और नौ जुलाई 2024 को जारी उन आदेशों दायर की गईं थीं, जिसके तहत गीता शुक्ला को आउट आफ टर्न प्रमोशन देकर सचिव बनाया गया था। इन दोनों ही याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि स्टेट बार काउंसिल के सचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और संवैधानिक प्रकृति का होता है, जिसकी नियुक्ति के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया मौजूद है। इन नियमों को दरकिनार कर गीता शुक्ला को दिया गया आउट आफ टर्न प्रमोशन देना कानूनन सही नहीं है।

सोशल मीडिया से 48 घंटों में हटायें हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग की विवादित यूआरएल लिंक

मप्र हाईकोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो का सोशल मीडिया में दुरूपयोग किये जाने को चुनौती देते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने विवादित 102 यूआरएल 48 घंटो में हटाने के आदेश जारी किये है। याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गयी है।जबलपुर निवासी अधिवक्ता अरिहंत तिवारी और विदित शाह तथा डॉ विजय बजाज की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि याचिका दायर कर बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियोज़ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट्स के माध्यम से डाली जाती है। यह आपत्तिजनक है। कई बार न्यायाधीशों द्वारा ओपन कोर्ट में कही बातों को मिर्च मसाला लगाकर उन्हें प्रसारित किया जाता है। यह अदालत की अवमानना है। याचिका में मांग की गई कि यू-ट्यूब के स्थान पर वेबेक्स आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए प्रकरणों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, जोकि कुछ हद तक सुरक्षित है।

आदिम जाति कल्याण विभाग में करोड़ों का घोटाला!

दो-दो बार प्रतिकर राशि का हुआ भुगतान

जबलपुर। आदिम जाति कल्याण विभाग कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में भ्रष्टाचार जमकर फल-फूल रहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यहां पदस्थ कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे है। एक ही हितग्राही, पीड़ित को दो-दो बार प्रतिकर राहत राशि का भुगतान किया गया है। इतना ही नही दूसरे जिल के भी हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया गया और जबलपुर के कई हितग्राहियों को कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग में हो रहे घोटाले की जानकारी कलेक्टर से लेकर, वरिष्ठ अधिकारियों, ईओडब्ल्यू में भी की गई है। शिवनगर, अधारताल निवासी एडवोकेट संतोष कुमार यादव ने प्रमुख सचिव जनजातीय विभाग भोपाल, आयुक्त भोपाल, महालेखाकार ग्वालियर, डिप्टी डायरेक्टर (लेखा) क्षेत्रीय आडिट सेल जबलपुर, ज्वाइंट डायरेक्टर (कोष एवं लेखा) कलेक्टर कार्यालय जबलपुर, कलेक्टर, जिला कोषाधिकारी जबलपुर ईओडब्ल्यू जबलपुर व अन्य अधिकारी को शिकायत प्रेषित करते हुए बताया कि सी.के. दुबे सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग कलेक्टर कार्यालय जबलपुर, रीडर नवीन भटेले, अधिनस्थ कर्मचारी सरिता व आशीष वर्मा द्वारा षडयंत्रपूर्वक कुछ हितग्राहियों को प्रतिकर/मुआवजे की राशि का भुगतान पात्रता होने के बावजूद भी नहीं किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ हितग्राहियों को प्रतिकर की राशि का भुगतान दो-दो बार अवैध रूप से किया गया है। कई हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र तक दूसरे जिले के बने हुए है उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है और करोड़ों का घोटाला किया गया है।

प्लाट खरीद-फरोख्त के नाम पर 21.10 लाख हड़पे

बिल्डर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज

जबलपुर। प्लाट खरीद फरोख्त के नाम पर 21 लाख 10 हजार रूपए हड़पने वाले बिल्डर के खिलाफ बरेला पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक संजय सोनकर 51 वर्ष निवासी मोती महल भरतीपुर ओमती ने लिखित शिकायत की 16 से 21 जनवरी 25 को रमनीत सिंह सेठी पिता रविन्द्र सिंह सेठी 46 वर्ष निवासी प्रीत बिहार कॉलोनी आर्दश नगर ग्वारीघाट से ग्राम बरेला स्थित 0.1560 हेक्टेयर भूमि को मूल स्वामी रामलाल पटेल एवं रामसेवक पटेल दोनों पिता मुसद्दीलाल पटेल निवासी किसानी मोहल्ला वार्ड न. 15 बरेला से आम मुख्यातयार नामा लेकर प्लाट न. 21,22 कुल रकबा 3022 वर्गफिट है जिसका उसके नाम का अनुबंध राशि 12,00,000 लाख रुपये में कराया गया था जिसमें से 9,00,000 रूपये दे दिया था, और प्लाट न. 23 रकबा करीबन 1021 वर्गफुट एवं प्लाट न. 24 जो करीब रकबा 1063 वर्गफिट को अपनी पुत्री नैना सोनकर के नाम का विक्रय पत्र की राशि दोनो प्लाटों की कुल राशि 8,00,000 रूपये सम्पूर्ण विक्रय राशि विक्रेता रामलाल पटेल एवं रामसेवक पटेल के आम मुख्तयार रमनीत सिंह सेठी को देकर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं प्लाट न. 25 का रकबा 1107 एवं प्लाट न. 26 रकबा 1157 वर्गफुट कुल रकबा करीबन 2264 वर्गफुट है जो उसकी पत्नि श्रीमति करिश्मा सोनकर के नाम पर राशि 8,00,000 रुपये में खरीदा था जिसमें से 4,10,000 रूपए देकर कब्जा प्राप्त कर प्लाट पर अपना नाम का बोर्ड लगा दिया था करीबन एक माह बाद में जब अपने प्लाट देखने आया तो मौके पर ले आऊट के अनुसार मौके पर रोड एवं प्लाट के खुटे एवं प्लाट से बोर्ड नही थे। बोर्ड एवं खूटो को निकाल कर अलग कर दिया था एवं जाने आने के रास्ते को बंद कर दिया था जब उक्त प्लाट की जानकारी रमनीत सिंह सेठी से लिया तो उसने बताया कि किसान रामलाल पटेल और रामसेवक पटेल से पैसो को लेकर विवाद हो गया है। विवाद सुलझाकर प्लाट देगे। रमनीत सिह सेठी व्दारा एक ही प्लाट कई लोगों को विक्रय कर दिया है। अनुबंध राशि एवं विक्रय राशि करीबन 21,10,000 रुपये रमनीत सिंह सेठी व्दारा प्राप्त कर मूल भूमिस्वामी विक्रेता रामलाल पटेल एवं रामसेवक पटेल को नहीं दी गयी जो षडयंत्र छलकपट कर धोखाधड़ी की गयी। विदित हो कि बिल्डर रमनीत सिंह के खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

बौखालाएं आरोपी ने फैक्ट्री मालिक को धमकाया

जबलपुर। विजय नगर थाना अंतर्गत घडी चौक में रहने वाले फैक्ट्री मालिक द्वारा अवैध कॉलोनी की एफआईआर ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई थी जिस पर आरोपी को सजा हुई इसी रंजिश के चलते बैखालाएं बदमाश ने फोन कर फैक्ट्री मालिक को जान से मारने की धमकी दे डाली। महेश कुमार कोडवानी निवासी घडी चौक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी चमन कोल्ड स्टोरेज एवं आईस फैक्ट्री आईटीआई दमोह रोड विजयनगर में है। पूर्व में वर्ष 2008-9 में उसके द्वारा युवराज वैध के खिलाफ अवैध कॉलोनी निर्माण करने की एफआईआर ईओडब्ल्यू में कराई थी जिसमे न्यायालय से युवराज वैध को सजा हो गई थी। जिसके चलते युवराज वैध रंजिश रखता है। बीती रात्रि युवराज ने उसे कॉल किया और डराने धमकाने लगा।

हत्या करने के इरादे से प्रॉपर्टी डीलर को चाकू से गोदा

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत विशाल मेगामार्ट के पास बदमाश ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के इरादे से चाकू से गोद दिया। हमले में घायलय को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक नीलेश सिंह लोधी 30 वर्ष निवासी ग्राम भड़पुरा थाना भेड़ाघाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे प्रॉपर्टी डीलर है। बीती रात लगभग 11 बजे विशाल मेगामार्ट के पास कैफे के सामने खड़ा था तभी वहां जित्तु पटेल आया और चाकू से पेट पर हमला कर भाग गया। पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है।

बच्चों का विवाद, बड़े कूदे चाकूबाजी, एक गंभीर

ओमती थाना अंतर्गत भरतीपुर में क्रिकेट खेलने पर बच्चों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों खूनी संघर्ष में बदल गया। चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक शिब्बू उर्फ अनमोल सोनकर 21 वर्ष निवासी भरतीपुर ने बताया कि छोटा भाई प्रदुम्न सोनकर मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था बच्चों बच्चों का आपसस में क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ। आर्यन अपने भाई बिल्लू सोनकर, साजन सोनकर के साथ आया और तीनों बच्चों के क्रिकेट खेलने पर हुये विवाद को लेकर तीनों हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे। बिल्लू और साजन ने उसे पकड़ लिया। आर्यन ने जान से मारने की नियत से चाकू से हमलाकर पीठ सिर में चोट पहुंचा दी।

कीचड़ में फंसा चोरी का हाईवा, जीपीएस से लोकेशन हुई ट्रैस

उमरिया में पुलिस की दबिश, आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त

जबलपुर। खमरिया थाना अंतर्गत अमझर प्लांट से ड्राइवर हाईवा चोरी कर भाग निकला। सीसीटीव्ही कैमरे से चोरी का पता चला। इसके बाद हाईवा की लोकेशन बिरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन के आगे उमरिया में ट्रैस हुई। पुलिस प्रकरण दर्ज कर रवाना हुई वहां कीचड़ में हाईवा फंसा मिला। पुलिस ने हाईवा जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण चौधरी पिता सुभाष चौधरी 43 वर्ष मूलत: निवासी ग्राम रामपुर बखरी बेगुसराय (बिहार) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे व्हीआरएस कैम्प अमझर प्लांट में रह रहा है और व्हीआरएस कम्पनी के अमझर क्रेशर प्लांट का साईड इन्चार्ज है। क्रेशर एवं प्लांट में लगे वाहनों एवं ड्राईवरों का लेखा जोखा एवं मेन्टेनेन्स का काम देखता है। कम्पनी में 4 अक्टूबर 25 को ड्राईवर हेम कुमार केवट निवासी हरहरपुर थाना रामपुर नेकिन जिला सीधी को हाईवा चलाने कम्पनी में भर्ती किया गया था। हेम कुमार केवट को चलाने के लिये 10 चक्का हाईवा क्रमांक एमपी 21 जेड सी 5572 दिया गया था। 9 जनवरी 26 को हेम कुमार अपनी गाड़ी चलाकर आकर अपनी गाड़ी को प्लांट में खड़ा कर दिया था। 10 जनवरी की सुबह कम्पनी का 12 चक्का हाईवा क्रमांक एमपी 21 जेड एफ 6651 के प्लांट पर नहीं पाये जाने से कैम्प मे लगे कैमरों को चैक किया गया जिसमे कम्पनी का ड्राईवर हेम कुमार केवट उक्त हाईवा को 9 जनवरी की रात्रि करीब 10 बजे स्टार्ट कर ले जाता दिखा था जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 30,00,000 रूपए है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। चोरी गये हाईवा में लगे जीपीएस सिस्टम से हाईवा की लोकेशन बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मिली। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद टीम उमरिया रवाना हुई। हाईवा बिरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन के आगे निर्माणाधीन हाईवे के फ्लाईएस के कीचड़ में फसा मिला। आरोपी ड्राइवर भी मौके पर मिल गया।

वेतन नहीं मिलने पर की चोरी

टीआई सरोजनी टोप्पो ने बताया कि हाईवा जब्त करने के साथ आरोपी हेम कुमार केवट पिता श्याम लाल केवट 30 वर्ष निवासी ग्राम हरहर पुर पोस्ट थाना रामपुर नेकिन जिला सीधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि 25 तारीख को प्रतिमाह वेतन मिलता था लेकिन पिछले माह वेतन नहीं मिला। पैसों की उसे जरूरत थी तो उसने मालिक से रूपये मांगे परंतु रूपये नहीं मिले तो उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

जिलेटिन फैक्ट्री का गंदा पानी नर्मदा में छोड़ रहे

नवभारत, जबलपुर। विगत कई दिनों से नर्मदा यात्रियों की सेवा में लगे बहुजन चेतना विकास मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याल मेहरा ने भेड़ाघाट चौराहा के पास स्थित जिलेटिन फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे नाले का निरीक्षण किया। उनका आरोप है कि फैक्ट्री में मरे हुए जानवरों की हड्डियों को जिलेटिन बनाने के लिए धोने का पानी बिना उपचार के सीधे नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है। जिसके कारण यात्री और स्थानीय ग्रामीण इस प्रदूषण को देखकर दुखी हैं। उन्होंने पानी को सेहत के लिए हानिकारक बताया गया है।

सात दिन में भुगतान नहीं तो किसान वापस लेंगे अपनी उपज

मूंग-उड़द उपार्जन घोटाला: अधिकारियों पर गंभीर आरोप

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन फसल मूंग-उड़द का उपार्जन सहकारी समिति बसेड़ी के माध्यम से एमएलटी वेयरहाउस मजीठा में किया गया था, लेकिन जांच के नाम पर सैकड़ों किसानों का करोड़ों रुपये का भुगतान अब तक अटका हुआ है। किसानों ने अधिकारियों, समिति प्रभारी और वेयरहाउस संचालक पर मिलकर घोटाला करने और किसानों को फर्जी बताने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सात दिन में भुगतान नहीं हुआ, तो वे अपनी उपज वापस

लेने आएंगे। किसानों का कहना है कि खरीदी बंद होने के बाद जांच में अनियमितता और कम माल पाए जाने का हवाला देकर भुगतान रोका गया। कुछ को भुगतान किया गया, लेकिन सैकड़ों किसान आज भी कलेक्ट्रेट और तहसील के चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों पर एफआईआर थी, उन्हीं अधिकारियों ने संदिग्ध किसानों की सूची तैयार की, जबकि किसानों के पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। चार माह बीत जाने के बाद भी न जांच पूरी हुई, न भुगतान। पत्रकार वार्ता में अभय प्रताप सिंह, चन्दन पटैल, मोनू सिंह, देवेंद्र ठाकुर, राम सिंह, बबलू ठाकुर,भगवान सिंह आदि किसान उपस्थित रहे।

चाकूबाजी में फरार भाजपा नेता गिरफ्तार

जबलपुर। बरगी पुलिस ने चाकूबाजी में फरार चल रहे भाजपा नेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी 5 माह से फरार चल रहा था पकड़े गए आरोपी के कब्जे से स्कॉर्पियो भी जप्त की गई है।विदित हो कि 17 अगस्त 2025 को घमापुर में रहने वाले शरद यादव का जन्मदिन था। एसएसबी रिसोर्ट में पार्टीके दौरान भाजयुमो नेता राकेश उर्फ गोलू आर्मो ने साथी अंकित पटेल, राजेंद्र पटेल, बाबू, संगम के साथ चाकू, फरसा से आशुतोष व अन्य पर हमलाकिया था।

सुबह से विद्युत ट्रांसफार्मर के ऊपर बैठा था दुर्लभ सफेद उल्लू

जबलपुर। गढ़ा थानांतर्गत आनंद कुंज तिराहा विमल टेंट के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के ऊपर एक नर हवेली उल्लू सुबह 6 बजे से बैठा था जो कि शाम तक वहां से हिला तक नहीं फिर वहां ललमुहे बंदरों का चार सदस्यीय दल वहां आकर उल्लू से छेड़छाड़ करने लगा थोड़ी देर में वहां तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी स्थानीय अतुल दुबे ने बंदरों को वहां से भगाया और वन विभाग रैस्क्यू स्क्वाड को सूचना दी। रैस्क्यू स्क्वाड प्रभारी गुलाब सिंह परिहार के निर्देश पर वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे मौके पर पहुंचे और रैस्क्यू करते हुए उल्लू को पकड़कर उसके स्वस्थ्य और सक्रिय अवस्था में वन विभाग रैस्क्यू स्क्वाड प्रभारी गुलाब सिंह परिहार के निर्देश पर जंगल में छोड़ दिया।

4 चरणों में 31 मार्च तक चलेगा 'संकल्प से समाधान अभियान'

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुशासन व स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पात्र हितग्राहियो को योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय-सीमा में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक संकल्प से समाधान अभियान संचालित किया जा रहा है। उक्त अभियान को चार चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण अंतर्गत 12 जनवरी से 15 फरवरी तक जिसमें वार्ड स्तरीय दल गठित कर घर-घर जाकर या शिविर लगातार शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सेवाओं से संबंधित आवेदन एवं शिकायतें एकत्रित करना होगा। द्वितीय चरण अंतर्गत 16 फरवरी से 16 मार्च तक प्रथम चरण में प्राप्त आवेदरों के निराकरण के लिए संभाग स्तर पर शिविरों का आयोजन होगा। तृतीय चरण अंतर्गत 16 मार्च से 26 मार्च तक जोन स्तर पर अनिराकृत शेष प्रकरणों एवं नवीन प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु नगर स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा एवं चतुर्थ चरण 26 मार्च से 31 मार्च तक जिला स्तरीय शिविर में शेष प्रकरणों का निराकरण एवं हितग्राहियों को सम्मानपूर्वक लाभ वितरण किया जायेगा। संकल्प से समाधान अभियान के सफल संचालन के लिए निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने संभागवार-वार्डवार दलों का गठन किया है जिसमें संभागीय स्तर पर संभाग क्रमांक 1 से 16 तक में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक वार्ड से प्राप्त आवेदनों को वार्ड स्तरीय नोडल अधिकारी सी.एम. हेल्प लाइन पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करेगें।

इन समस्याओं का किया जाएगा निराकरण

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि अभियान के दौरान निकाय से संबंधित समस्त सेवाओं जैसे नवीन नल, सीवर कनेक्शन, भवन अनुज्ञा, ट्रेड लाइसेंस, सम्पत्ति नामांतरण, पी.एम. स्वनिधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का निराकरण प्राथमिकता पर किया जायेगा। उपरोक्त अभियान के सफल संचालन के लिए उपायुक्त श्रीमती अंकिता जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। समस्त वार्ड स्तरीय नोडल अधिकारी एवं संभागीय नोडल अधिकारी उपायुक्त अंकिता जैन नोडल अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगें

उच्च न्यायालय के सामने फ्लाईओवर निर्माण की मांग तेज

जबलपुर, नवभारत। मप्र उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिदिन लगने वाले भीषण यातायात जाम से निजात दिलाने हेतु फ्लाईओवर निर्माण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता द्वारा मुख्य न्यायाधिपति, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, कलेक्टर जबलपुर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल राकेश सिंह लोक निर्माण मंत्री एवं नगर निगम जबलपुर के आयुक्त को इस संबंध में औपचारिक पत्र सौंपा गया। पत्र में उल्लेख किया गया कि उच्च न्यायालय के सामने स्थित मुख्य मार्ग पर प्रात: लगभग 10 बजे से सायं 5 बजे तक घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, वादकारियों, न्यायालयीन अधिकारियों, शासकीय कर्मचारियों एवं आपातकालीन सेवाओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि इस मार्ग से आवागमन लगभग असंभव हो जाता है। पत्र में यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट चौराहे से अंबेडकर चौराहे की ओर शहर की दिशा में जाने वाले यातायात के कारण जाम की समस्या और अधिक विकराल हो जाती है। वर्तमान सड़क संरचना बढ़ते यातायात भार को वहन करने में सक्षम नहीं है। यदि हाईकोर्ट चौराहे से अंबेडकर चौराहे के आगे तक फ्लाईओवर के माध्यम से निर्बाध यातायात की व्यवस्था की जाए।

त्योहार आते ही बिकने लगता है चाइनीज मांझा

मौत की डोरी पर लगाम क्यों नहीं?

जबलपुर, नवभारत। जानलेवा साबित हो चुके नायलोन धागा यानी चाइनीज मांझा भले ही सरकारी आदेशों और हाईकोर्ट के निर्देशों में पूरी तरह प्रतिबंधित हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। प्रशासन और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न तो इसके निर्माण पर प्रभावी रोक लग पा रही है और न ही इसकी बिक्री पर हालात यह हैं कि मौत का यह मांझा खुलेआम बिक रहा है और धड़ल्ले से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बीते एक वर्ष में ही जिले में एक दर्जन से अधिक छोटी-बड़ी घटनाएं चाइनीज मांझे से हो चुकी हैं। कहीं लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो कहीं परिवारों ने

अपने घर के चिराग खो दिए। इसके बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई घटना के बाद ही सक्रिय होती नजर आती है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसकी शह पर यह जानलेवा धागा बाजार तक पहुंच रहा है। जमीनी सच्चाई यह है कि जब भी कोई हादसा सामने आता है, तब कलेक्टर के आदेश पर अभियान चलाया जाता है। कुछ दुकानों पर दबिश, कुछ चरखियों की जब्ती और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब तक निर्माण से लेकर सप्लाई चैन तक पर सख्त प्रतिबंध और सतत निगरानी नहीं होगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।स्थिति यह है कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में भी चाइनीज मांझा बिक रहा है और पतंगबाजी में उपयोग किया जा रहा है। जब तक कार्रवाई होती है, तब तक यह मांझा दुकानों से निकलकर घरों और छतों तक पहुंच चुका होता है। इसका खामियाजा आम नागरिकों, दोपहिया वाहन चालकों और मूक पशु-पक्षियों को भुगतना पड़ रहा है।

मकर संक्रांति पर बढ़ी खपत

मकर संक्रांति के अवसर पर जब तिल-गुड़ की मिठास के साथ आसमान पतंगों से भर जाता है, तब यही मांझा खुशियों को पल भर में मातम में बदल देता है। पतंगबाजी का रोमांच कई बार जानलेवा साबित हो रहा है। संभाग के छिंदवाड़ा में गर्दन कटने से हुई मौत इसका ताजा उदाहरण है। प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए चाइनीज मांझे की डिलीवरी धड़ल्ले से हो रही है। आधुनिक व्यापार के इस नए तरीके ने प्रशासन की चुनौती और बढ़ा दी है। सवाल यह है कि ऑनलाइन माध्यमों पर इस मौत के सामान की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

यातायात सुधार और दुर्घटना रोकथाम पर जोर

नवभारत,जबलपुर। स्मार्ट सिटी डेटा सेंटर में स्मार्ट सिटी ऑटो चालक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) अंजना तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गढ़ा बैजनाथ प्रजापति, सूबेदार मनीष एवं सूबेदार राहुल सिंह उपस्थित रहे। ऑटो चालक संघ की ओर से अध्यक्ष लालू सोमयानी, कोषाध्यक्ष राजू रजाक खान सहित लगभग 100 ऑटो चालक बैठक में शामिल हुए। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, ई-रिक्शा संचालन के दिशा-निर्देशों तथा वाहन पंजीकरण व दस्तावेजों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर हार्टफुलनेस संस्था के के.के. श्रीवास्तव एवं मनोज गुप्ता के सहयोग से ऑटो चालकों को ध्यान मुद्रा के माध्यम से मानसिक एकाग्रता का अभ्यास कराया गया। साथ ही चालकों को यातायात नियमों के पालन, करने निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं, सड़क पर कहीं भी सवारी न बैठाई जाए तथा सभी वैध दस्तावेज पूर्ण रखें।